शुद्धि पत्र

संख्या-133/2025/001/423(2)/25-27-सिं-9-82 एसएवी/24

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2025**

विषय: जनपद सिद्धार्थनगर में धनौरा राजवहा के कि0मी0 0.000 से 12.300 के मध्य विभिन्न स्थलों पर ड्रेनेज क्रासिंग एवं वी0आर0बी0 (बाक्स कलवर्ट) के निर्माण कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-130/2025/001/423/25-27-सिं-9-82एसएवी/24, दिनांक 27.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रू0 118.66 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश **लेखाशीर्षक-4700170511014** के स्थान पर **लेखाशीर्षक-470097051101424** अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश के उल्लिखित प्रस्तर-2 में अंकित लेखाशीर्षक-4700970511014 के स्थान पर लेखाशीर्षक-4700170511014 पढ़ा जाय।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है